वकील श्री विजय पटेरिया ने अभि० द्वारा 1 लगा० 3 की ओर से जवाब प्रा० पत्र मूल पेश किया।

24/11/24
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

24/11/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार ..... को पेश हो।
17/12/24
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

17/12/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली ..... दिनांक 30/1/25 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

30/1/25
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार 6/3/25 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

6/3/25
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 9/4/25 को पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

9/4/25
पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ दौरे/अवकाश/अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली गत आदेशानुसार आवन्दा 5.6.25 को पेश हो।

आगे

वकील आवेदक अ०1 आवेदक मूल प्रा०पत्र से संबंधित मूल दा० विक्रय कर लिया है अब इस प्रा० पत्र को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है लिहाजा प्रा० पत्र I II प्रा० पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो कार्य से कम हो या तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। पुनः आवेदन स्वतन्त्र तत्काल पेश अपील किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़ (झुन्झुनूं)